न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 77 / 2025	2025 / 355	05.08.2025	15-9-2025

1– देवांग पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी सैक्टर 4 रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा।

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 नामान्तरण संख्या 465 वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, को निरस्त किये जाने बाबात।

उपस्थित–

01. श्री प्रवीण कुमार **–वकील अपीलान्ट**

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 नामान्तरण संख्या 465 वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित साबिक आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 का सम्पूर्ण भाग ग्राम मानका जर्ये राजिस्ट्रड बैयनामा के दिनाक 28.12.2020 को खरीद किया गया है, वक्त खरीद बैयनामा से मिन अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट ने साबिक आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 का सम्पूर्ण भाग जर्ये बैयनामा खरीद करने के बाद बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु बैयनामा हल्का पटवारी को दे दिया तथा हल्का पटवारी ने कहा की आपका नामान्तकरण दर्ज व मंजूर कराकर आपका बैयनामा वापिस कर दूगा। लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण वर्ष 2020 में दर्ज नही किया। और न ही अपीलान्ट को बैयनामा वापिस दिया, अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से बार–बार सम्र्पक़ किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि अभी सैटलमेन्ट चल रहा है, सैटलमेंन्ट कर्न्फम होने के बाद आपका नामान्तकरण दर्ज हो जावेगा। उसके बाद सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा उक्त खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 को हाल आराजी खसरा न0 218 रकबा 0.54 है0 पैमूद कर दिये, तो अपीलान्ट ने दुबारा पटवारी हल्का से वर्ष 2024 में नामान्तकरण दर्ज व मंजूर कराने के बाबत सम्र्पक किया तो पटवारी हल्का ने कहा की तहसीलदार मुण्डावर से नामान्तकरण स्वीकृत करा दूगा। लेकिन हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 465 वाके ग्राम मानका दर्ज कर कानूनगो से मिलान कराकर नामान्तकरण को स्वीकृत व मंजूर कराने के लिए तहसीलदार मुण्डावर को पेश किया गया, तो तहसीलदार मुण्डावर ने नामान्तकरण संख्या 465 को हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का जॉच व संलग्न बैयनामा रजिस्ट्रड क्रंमाक 101873 दिनाक 31.12.2020 में वर्णित खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 ग्राम मानका के नामान्तकरण में दर्ज खसरा न0 218 का विधिवत मिलान नही होने के कारण नामान्तकरण

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा

दिनाक 01.08.2024 को खारिज कर दिया गया। जो कि प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रावधानो के विपरित जाकर अपीलान्ट को सुने बिना ही दिनाक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट ने बैयनामा व साबिक आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 के हाल खसरा न0 218 की जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.08.2024 की जानकाकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, दिनाक 20.06.2025 को अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी से अपने नामान्तकरण दर्ज व मंजूर कराने बाबत जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपका नामान्तकरण खारिज कर दिया। उसके बाद अपीलान्ट ने दिनाक 24.06.2025 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील न्यायायलय हाजा के समक्ष पेश की गयी है। अपील के लिए जानकारी की दिनाक 20.06.2025 को होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है, लेकिन फिर भी तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्टान की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 01.08.2024 के विरूद्व दिनाक 26.06.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह 25 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.08.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 20.06.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य है, कि विवादित साबिक आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 का सम्पूर्ण भाग ग्राम मानका जर्ये राजिस्ट्रड बैयनामा के दिनाक 28.12.2020 को खरीद किया गया है, वक्त खरीद से अपीलान्ट आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु बैयनामा की प्रति हल्का पटवारी को दे दिया तथा हल्का पटवारी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 465 वाके ग्राम मानका दर्ज कर कानूनगो से मिलान कराकर नामान्तकरण को स्वीकृत व मंजूर कराने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को पेश किया गया, तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 465 को हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का जॉच व संलग्न बैयनामा रजिस्ट्रड कंमाक 101873 दिनाक 31.12.2020 में वर्णित खसरा न0 197 रकबा 0.54 है0 ग्राम मानका के नामान्तकरण में दर्ज खसरा न0 218 का विधिवत मिलान नही होने के कारण नामान्तकरण दिनाक 01.08.2024 को खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का मानका द्वारा नामान्तकरण संख्या 465 दिनाक 02.07.2024 को रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज संख्या 202003252101873 दिनाक 31.12.2020 के आधार पर दर्ज किया गया है, नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 218 रकबा 0.54 है0 भूमि खातेदारान कमशः सुमन देवी, सुन्दर लाल, अनील कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड थी, खातेदारान द्वारा खातेदारी की आराजी जर्ये बैयनामा अपीलान्ट को बैचान की गयी है, मुताबिक बैयनामा के नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा सही दर्ज किया गया है, किन्तु तहत अदालत द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बगैर ही नामान्तकरण को खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 नामान्तकरण संख्या 465 वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर खारिज किया जाता है, प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार हो, बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)